भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 82

दिनांक 08 दिसम्बर, 2023 को उत्तर के लिए

महिलाओं और बच्चों में रक्ताल्पता एवं कुपोषण

***82. डॉ. हिना विजयकुमार गावीत :**
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे :

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारत में रक्ताल्पता से ग्रसित महिलाओं की संख्या तथा कुपोषण से ग्रसित बच्चों की संख्या कितनी-कितनी है;

(ख) महिलाओं और बच्चों से संबंधित उक्त समस्याओं के समाधान के लिए सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 योजना का लक्ष्य क्या है;

(ग) गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को रक्ताल्पता से बचाने हेतु उनके लिए समुचित आहार संबंधी आदतों के बारे में जागरुकता फैलाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं तथा कुपोषित बच्चों में पोषण संबंधी कमियों को दूर करने के लिए चिकित्सीय रूप से सुझाए गए उपाय क्या हैं?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

*****

"महिलाओं और बच्चों में एनीमिया और कुपोषण" के संबंध में डॉ. हीना विजयकुमार गावित और डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे द्वारा 08.12.2023 को पूछे जाने वाले लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या *82 के भाग (क) से (घ) के उत्तर से संदर्भित विवरण

(क) राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 (2019-21) के अनुसार देश में रक्ताल्पता की व्यापकता 15-49 वर्ष की सभी महिलाओं में 57.0% और 15-49 वर्ष की गर्भवती महिलाओं में 52.2% है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 (2019-21) के अनुसार, देश में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में ठिगनेपन, दुबलेपन और अल्पवजन की व्यापकता निम्न प्रकार है:

सूचक	**एनएफएचएस 5 (2019-21)**
5 वर्ष की आयु के ठिगने बच्चों का प्रतिशत (कद के अनुसार आयु)	35.5
5 वर्ष की आयु के दुबले बच्चों का प्रतिशत (ऊंचाई के अनुसार वजन)	19.3
5 वर्ष की आयु के अल्पवजन वाले बच्चों का प्रतिशत (उम्र के हिसाब से वजन)	32.1

पोषण ट्रैकर के नवंबर 2023 माह के आंकड़ों के अनुसार, 6 साल से कम उम्र के लगभग 7.44 करोड़ बच्चों को मापा गया, जिनमें से 37.51% ठिगने पाए गए और 17.43% अल्पवजन वाले और दुबले पाए गए। अल्पवज़न और दुबलेपन का स्तर एनएफएचएस 5 द्वारा अनुमानित स्तर से बहुत कम है।

(ख) सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 एक एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम है, जो स्वास्थ्य, आरोग्यता और रोग और कुपोषण के प्रति प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने वाली प्रथाओं को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ पोषण सामग्री, वितरण, आउटरीच और परिणामों को सशक्त बनाता है। यह ठिगनेपन और रक्ताल्पता के अलावा दुबलेपन और अल्पवजन के प्रसार को कम करने के लिए मातृ पोषण, शिशु और छोटे बच्चे के आहार मानदंड, एमएएम/एसएएम के उपचार और आयुष प्रथाओं के माध्यम से आरोग्यता पर केंद्रित है।

पोषण 2.0 के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- देश की मानव पूंजी विकास में योगदान देना;
- कुपोषण की चुनौतियों का समाधान करना;
- स्थायी स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए पोषण जागरूकता और खान-पान की अच्छी आदतों को बढ़ावा देना; और
- प्रमुख कार्यनीतियों के माध्यम से पोषण संबंधी कमियों को दूर करना।

(ग) और (घ): पोषण 2.0 के तहत, आहार विविधता, खाद्य फोर्टिफिकेशन, ज्ञान की पारंपरिक प्रणालियों का लाभ उठाने और बाजरा के उपयोग को लोकप्रिय बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। आंगनवाड़ी मंच पर आहार विविधीकरण सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों, जैसे गहरी हरी पत्तेदार सब्जियां, दाल और विटामिन सी से भरपूर फलों की खपत को प्रोत्साहित करता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पूरक पोषण कार्यक्रम के तहत फोर्टिफाइड खाद्य सामग्री जैसे फोर्टिफाइड गेहूं का आटा, फोर्टिफाइड चावल, डबल फोर्टिफाइड नमक और फोर्टिफाइड खाद्य तेल का उपयोग करने की सलाह दी गई है।

इसके अलावा, रक्ताल्पता से जुड़े मुद्दों को अधिक महत्व देने के लिए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण अभियान के तहत रक्ताल्पता से संबंधित विषयों को समर्पित किया गया है, जिसमें अब

तक रक्ताल्पता पर लगभग 6 करोड़ गतिविधियां सूचित की गई हैं। हाल ही में सितंबर, 2023 में आयोजित पोषण माह में, 35 करोड़ से अधिक संवेदीकरण गतिविधियां दर्ज की गईं, जिनमें से लगभग 4 करोड़ रक्ताल्पता के आसपास केंद्रित थीं। मंत्रालय ने देश भर में बाजरा अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाए। अब तक, जन आंदोलन के माध्यम से, पिछले दो वर्षों में बाजरा संवर्धन पर ध्यान केंद्रित करते हुए 5 करोड़ से अधिक संवेदीकरण गतिविधियां आयोजित की गई हैं, जिससे लक्षित लाभार्थियों को संवेदीकरण और स्वस्थ, बाजरा-आधारित भोजन की प्रथाओं को अपनाने के माध्यम से रक्ताल्पता का मुकाबला करने में मदद मिली है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कुपोषण और संबंधित बीमारियों की रोकथाम के लिए आयुष प्रणालियों के उपयोग को बढ़ावा देने की भी सलाह दी गई है। बच्चों में **कुपोषण के सामुदायिक प्रबंधन के लिए** पहला **राष्ट्रीय प्रोटोकॉल** महिला और बाल विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से 10 अक्टूबर 2023 को आरंभ किया गया, जिसमें आंगनवाड़ी स्तर पर कुपोषित बच्चों की पहचान और प्रबंधन के लिए विस्तृत कदम उठाए गए जिनमें रेफरल, पोषण प्रबंधन और अनुवर्ती देखभाल के लिए निर्णय लेना शामिल थे। इसके अलावा, प्रजनन आयु वर्ग में गर्भवती महिलाओं और कुपोषित गर्भवती महिलाओं के लिए क्षेत्रवार आहार चार्ट भी तैयार किया गया है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रसारित किया गया है।

अन्य बातों के साथ-साथ पोषण संबंधी कमियों और रक्ताल्पता सहित मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार के लिए एमओएचएफडब्ल्यू की प्रमुख गतिविधियां हैं:

i. **एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी)** कार्यनीति सुदृढ़ संस्थागत तंत्र के माध्यम से छह पहलों के कार्यान्वयन के माध्यम से जीवन चक्र दृष्टिकोण में छह लाभार्थी आयु वर्गों - बच्चों (6-59 महीने), बच्चों (5-9 वर्ष), किशोरों (10-19 वर्ष), गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं और प्रजनन आयु समूह (15-49 वर्ष) महिलाओं में रक्ताल्पता को कम करने के लिए लागू की गई है। रक्ताल्पता की समस्या के समाधान के लिए उठाए गए कदम हैं:
    - सभी छह लक्षित आयु समूहों में रोगनिरोधी आयरन और फोलिक एसिड अनुपूरण
    - वर्ष भर गहन व्यवहार परिवर्तन संचार (बीसीसी) अभियान
    - गर्भवती महिलाओं और स्कूल जाने वाले किशोरों पर विशेष ध्यान देने के साथ डिजिटल तरीकों और देखभाल बिंदु का उपयोग करके परीक्षण
    - मलेरिया, हीमोग्लोबिनोपैथी और फ्लोरोसिस पर विशेष ध्यान देने के साथ स्थानिक इलाकों में रक्ताल्पता के गैर-पोषण संबंधी कारणों का समाधान करना
    - उच्च प्राथमिकता वाले जिलों (एचपीडी) में गंभीर रक्ताल्पता से पीड़ित गर्भवती महिलाओं की पहचान और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए एएनएम को प्रोत्साहन प्रदान करना।
    - आयरन सुक्रोज/रक्त आधान के माध्यम से गर्भवती महिलाओं में गंभीर रक्ताल्पता का प्रबंधन
ii. **मासिक ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण दिवस (वीएचएसएनडी)** आंगनवाड़ी केंद्रों पर आईसीडीएस के साथ अभिसरण में पोषण सहित मातृ एवं शिशु देखभाल की व्यवस्था के लिए एक आउटरीच गतिविधि है।
iii. गर्भवती महिलाओं को आहार, आराम, गर्भावस्था के खतरे के संकेत, लाभकारी स्कीमों और संस्थागत प्रसव के बारे में शिक्षित करने के लिए **एमसीपी कार्ड और सुरक्षित मातृत्व पुस्तिका** वितरित की जाती है।

*****